UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

NOTIFICATION

No. Acad.-II/2025/

Dated:

It is notified to all concerned affiliated Colleges with the University of Rajasthan, Jaipur (under Jurisdication of Jaipur & Dausa Districts) that online application forms for granting Fresh/Extension of Provisional/Permanent affiliation, affiliation with Increase Intake/New Courses/New Subjects for the academic session 2026-27 shall be started with following affiliation fee structure/schedule of dates w.e.f. 16th December, 2025 on the University Online Portal **https://ruaffiliation.in** :-

S.No.	Process of Online submission of affiliation form by the College	Last date of Online Submission of affiliation forms for the session 2026-27
1.	Last date for online submission of affiliation form by the College without late fee.	**02nd January, 2026**
2.	With penalty equal to affiliation fee and late fee (Rs. 500/- per Course/Subject) for online submission form by the college.	**17th January, 2026**
3.	With penalty equal to double of Affiliation fee and late fee (Rs. 10,000/- per Course/Subject) for online submission form by the college.	**31th January, 2026**
4.	**Note:-The hard copy of the affiliation form alongwith all the required supporting documents to bedeposited by the college itself in the Academic-II Section within 15 days from the last date of online submission of affiliation form i.e. 02nd Jan., 17th Jan. & 31th Jan respectively failingwhich a fine of Rs. 730/- per day will be charged from the concerned College.**	

Affiliation fee structure & Date Schedule for the academic session 2026-27

S. No.	Name of Courses	Affiliation Fee Structure according to seats	Date	Affiliation Fee for the Session 2026-27
1.	B.A./B.Sc./B.Com./B.A-TDP/B.Sc-TDP/ BPA/BVA/B.Sc. Home Sc. (Pass Course) /B. Lib. Pass/Hons. Course (Part-I)	UG Seats Granted ≤ 500	Upto 02.01.02026	1,32,040/-
		UG Seats Granted ≤ 501 to 1000	Upto 02.01.02026	1,65,070/-
		UG Seats Granted ≤ 1001 to 1500	Upto 02.01.02026	1,98,080/-
		UG Seats Granted ≤ 1501 to 2000	Upto 02.01.02026	2,31,090/-
2.	M.Sc.-Pharmaceutical Chem./Bio-Chem./ Ploymer Chemistry & GPEM in M.A./M.Sc./ M.Com.	....	Upto 02.01.02026	1,32,040/-
3.	B.A./B.Sc./B.Com/BFA /BVA Pass/Hons. Course **For per Additional Subject**	....	Upto 02.01.02026	42,880/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com/ MFA/M. Mus. (Per Subject.)	....	Upto 02.01.02026	42,880/-
5.	BBA/BCA/B.Sc. Biotechnology/Micro Biology	UG Seats Granted ≤ 500	Upto 02.01.02026	2,47,590/-
		UG Seats Granted ≤ 501 to 1000	Upto 02.01.02026	3,09,500/-
		UG Seats Granted ≤ 1001 to 1500	Upto 02.01.02026	3,71,380/-
		UG Seats Granted ≤ 1500 to 2000	Upto 02.01.02026	4,33,290/-
6.	M.Sc. Biotechnology/ M.Sc. Microbiology/ M.Sc. IT/ PG Diploma in Rehabilitation Psychology/B.A.S.L.P/ PG Diploma Course in GPEM (Per Course)		Upto 02.01.02026	2,80,590/-per course
7.	MIB/MFC/MHRM/ M.Com. (HRM)	....	Upto 02.01.02026	99,060/-per course

8.	PG Diploma/Certificate course	…………………	Upto 02.01.02026	1,65,070/-per course
9.	B.Ed./B.Ed. Special Education (ID/HI/MR)/ M.Ed./M.Ed. Special Education/B.P.Ed./M.P.Ed. M.A. Clinical Psychology	………………	Upto 02.01.02026	1,60,790/-(per unit of 50 student)
10.	B.A.-B. Ed/B.Sc-B.Ed/ I.S.I.T.E.P. (ID) I.S.I.T.E.P. (HI) Four Year Integrated Course	…………………	Upto 02.01.02026	2,43,600/-(per unit of 50 student)
11.	Three year integrated B.Ed.-M.Ed. Course	………………	Upto 02.01.02026	1,94,870/-(per unit of 50 student)
12.	Permanent affiliation	Four times of the normal affiliation fee as per BOI resolution no. 18 dated 07.10.2014	Upto 02.01.02026	Four times of the basic fee
13.	Diploma in Interior Designing/Diploma in Building Construction Technology (One Year Course)		Upto 02.01.02026	1,07,180/-(per unit of 50 student) (per course)
14.	Advance Diploma in Interior Designing/Advance Diploma in Building Constructions Technology (Two Year Course)		Upto 02.01.02026	2,14,350/-(per unit of 50 student) (per course)
15.	B. Voc. Degree in Interior Designing. B. Voc. Degree in Building Construction Technology (Three Year Course)		Upto 02.01.02026	3,21,540/-(per unit of 50 student) (per course)
16.	B. Designing/Product Design/B.Des. Communication/Fashion Designing (Apparel & Textile) (Annual Scheme) Interior Design (Annual Scheme) Jewellery Design (Annual Scheme) (Four Year Bachelor of Designing Courses)		Upto 02.01.02026	3,89,740/-(per unit of 50 student) (per course)
17.	Research Centre Note:-Application form for affiliation of Research Centre is invited from only Government/Affiliated College whose P.G. subjects approved as permanent affiliation by the University.		Upto 02.01.02026	48,730/-per course
18.	PGDCA		Upto 02.01.02026	1,65,070/-per course
19.	Add-on course		Upto 02.01.02026	1–पूर्व में संचालित महाविद्यालयों से केवल आवेदन शुल्क 1,610/- लिया जायेगा। 2–नवीन सम्बद्धता के लिये आवेदन पत्र एवं निरीक्षण शुल्क (1,610+16,100) लिया जायेगा।

1. As per clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009, the prescribed endowment fund is Rs. 15 Lakh FDR per programme for Arts, Science & Commerce Faculty and Rs. 35 Lakh FDR per programme for Professional courses. The Colleges will deposit enhanced endowment fund, if the final judgement of the Hon'ble High Court Rajasthan comes in favour of University of Rajasthan, Jaipur, till date existing norms for endowment fund shall be applicable. The deposition of FDR towards endowment fund is necessary for each and every affiliated or to be affiliated colleges subject to final verdict of the Hon'ble High Court.

2. The cost of online affiliation form for Fresh/Extension/Increase Intake/alredy permanent Colleges affiliates will be **Rs. 1,610/- per form and Rs. 8,040/- per form for permanent affiliation**.
3. The Colleges will have to deposit VIMARSH SULKH (fee) of Rs. 1,000/- per seat in each programme at the commencement of U.G. degree or P.G. degree courses shall be chargeable every year irrespective of new affiliation, permanent affiliation, increase of seats, extension and affiliation of additional subject and courses w.e.f. the session 2018-19, subject to the final outcome of the Hon'ble High Court Rajasthan, Jaipur.
4. For grant of extension of Provisional Affiliation in academic courses (viz. B.A., B,Sc., B.Com. (Pass/Hons.), M.A., M.Sc., M.Com, MFA) the affiliation fee will be charged 50% amount as per above chart, whereas for other Professional Courses the full affiliation fee (i.e. 100% amount) shall be applicable.
5. Section-wise increase intake affiliation fee will be charged separately i.e. Rs. 1,07,180/- per Section.
6. Re-inspection Fee shall be charged @ Rs. 32,210/- per course as per earlier BOI Resolution No. 18 dated 07.10.2014.
7. The Colleges applying for fresh/increase intake/additional/permanent subject affiliation are required to pay Inspection fee of Rs. 16,100/- for each course as per BOI Resolution No. 18 dated 07.10.2014 except Educational Coures.
8. Original FDR towards endowment fund shall be presented at the time of submission of hard copy of the affiliation forms.
9. No Objection Certificate of the State Govt. must be uploaded while online submitting affiliation form and the same is required to be submitted as hard copy of the same alongwith affiliation forms in the stipulated time/duration.
10. If your College has accredited with NAAC by the UGC, a copy of the same be uploaded and submitted with affiliation forms. If not obtained, than the College may take initiatives to get NAAC accreditation from the UGC.
11. The existing College will be required to fill the affiliation form with mentioning AISHE code already given by the concerned authority, whereas the new Colleges shall have to apply for new AISHE code for the purpose.
12. The University shall only entertain those colleges which filled online affiliation form with requisite affiliation fee deposited in time in University Bank Account. In case the transaction of deposition of affiliation fee is failed and the same is not deposited in University account shall not be considered for affiliation.
13. The affiliation fee shall be refundable by deducting 25% amount towards processing charges in case the inspection is not conducted. No affiliation fee shall be refundable/adjustable in such cases where the respective inspection team has not recommended fresh/Increase Intake or extension of provisional affiliation.
14. All the Colleges shall have to follow the provisions/norms so prescribed under the University Ordinance/Statutes/directions to be issued time to time by the University.
15. If a college which is under provisional affiliation of the University, fails to apply for extension of provisional affiliation for a particular academic session upto the last date, than the concerned college shall be deemed to be disaffiliated from the University from such academic session, thereafter such college, if want, to apply for next academic session than it shall be required to deposit the fresh affiliation fee again (with prescribed penalty and late fee) in University as applicable for the concerning courses than the last academic session shall be declared as zero session and the extension of provisional affiliation shall be considered to be granted for the next academic session accordingly.
16. The affiliation fee to be deposited through online Payment Gateway System by multiple payment modes like Credit Card/Debit Card/Net Banking and Wallets by the respective College at Nil charges. Bank details is as follows :-

S.No.	Bank Name	Account No.	IFSC Code
1.	ICICI Bank Rajasthan University Campus, Bapu Nagar, Jaipur.	674701701612	ICIC0006747

17. **All the Colleges must have to deposit 18% GST** (9% for CGST & 9% for SGST i.e. Total 18%) **amount of the total affiliation fee so calculated for the session 2026-27** and for 01.07.2017 upto **before issuing this Notification an agreement on non-judicial stamp worth** Rs. 500/- (draft **enclosed for ready reference executed by the Colleges who wants to fill** affilation form must be

uploaded with affiliation form and original be enclosed for hard copy. No hard copy of the affialition form especially without GST agreement in any case will be accepted.

18. New establishing college must apply B.Sc. Course in Bio. & Maths Groups separately. The affiliation fee shall also be applicable separately for the purpose.
19. If it is found at any stage on checking of affiliation forms that the affiliation fee deposited by the college found less as per above said affiliation fee schedule than the difference amount of affiliation fee must be deposited by the concerned college at only online affiliation fee portal.
20. Every and each college must ensure to fill online category-wise affiliation form (i.e. Fresh/Extension of affiliation/Permanent affiliation/Increase Intake or other categories) failing which their affiliation matters shall not be considered under any circumstances.
21. Every and each college must also ensure to fill the affiliation form with mentioning all the subjects with UG course, otherwise a penalty of Rs. 2,420/- per subject shall be charged from them.

Please contact Help Line Mobile No. 8233426511 for any clarification/queries regarding uploading of online application, Mobile No. 9372505528 for payment querries and Mobile No. 9001791494 for administrative (Acad.-II Section) during office hours

(Ashu Chaudhary)
Registrar

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज	दस्तावेज संलग्न है हॉ/नहीं	पत्रावली पेज संख्या	
			From	To
1.	सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र।			
2.	ऑनलाइन भरे गए सम्बद्धता शुल्क की रसीद।			
3.	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 हेतु जारी किए गए सम्बद्धता अभिवृद्धि के आदेश तथा पूर्व में जारी किए गए समस्त नवीन एवं अस्थायी सम्बद्धता आदेशों की प्रतिलिपियां।			
4.	सत्र 2025–26 की सम्बद्धता चाहने हेतु संकाय/विषयों के नाम परिशिष्ट–1 से 4 के अनुसार (जो भी लागू हो)।			
5.	संस्था/ट्रस्ट का पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति।			
6.	संघ विधान पत्र एवं नियमावली की प्रति।			
7.	ट्रस्ट/सोसायटी के संकल्प की प्रति।			
8.	महाविद्यालय भवन में अन्य संस्था संचालित नहीं होने का सचिव द्वारा शपथ पत्र।			
9.	रजिस्टार संस्थायें/सोसाईटी पंजिकरण कार्यालय द्वारा प्रमाणित प्रबंध कार्यकारिणी सूची की प्रति।			
10.	राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो) की प्रति।			
11.	महाविद्यालय भूमि की जमा बंदी, भवन एवं भौतिक संसाधनों की प्रमाणित सूची।			
12.	महाविद्यालय भवन का ब्लू प्रिंट, जिसपर महाविद्यालय का नाम, भूमि खसरा नम्बर एवं भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखा हो, जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो, की प्रति।			
13.	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र, जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो, की प्रति।			
14.	महाविद्यालय भवन के Photographs			
15.	नियमानुसार अक्षयनिधि कोष हेतु बनवाई गई F.D.R. i.e.कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रत्येक हेतु पाँच लाख की F.D.R. की प्रति।			
16.	नियमानुसार अक्षयनिधि कोष हेतु बनवाई गई F.D.R. i.e. B.Ed., B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed., M.Ed., BP.Ed./M.P.Ed/B.Ed-M.Edप्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु तीन लाख की F.D.R. की प्रति।			
17.	इस आशय का प्रमाण–पत्र कि कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को बैंक के माध्यम से नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है।			
18.	विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुमोदित स्टॉफ की सूची।			

नोटः प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 660/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।

7.	MIB/MFC/MHRM/ M.Com. (HRM)	....	Upto 02.01.02026	99,060/-per course

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

नवीन महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज	दस्तावेज संलग्न है हॉ/नहीं	पत्रावली पेज संख्या	
			From	To
1.	सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र।			
2.	ऑनलाइन भरे गए सम्बद्धता शुल्क की रसीद।			
3.	समिति/ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण–पत्र समिति के विधान की प्रति।			
4.	प्रबन्ध समिति की सूची (निर्वाचन तिथि सहित)।			
5.	प्रारंभ किए जाने वाले संकाय (विषयों सहित) का स्पष्ट उल्लेख हो।			
6.	समिति के नाम भूमि के दस्तावेज पट्टा।			
7.	भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा।			
8.	संपूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश/रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण–पत्र।			
9.	भूमि का वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।			
10.	समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिए उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हो।			
11.	पंजीकृत वास्तविद् द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी (सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा पंचायत समिति) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा (ब्लू प्रिंट) जिसमें खसरा नं. व पूर्ण पता लिखा हो, जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो।			
12.	किराये के भवन हेतु पंजीकृत किरायानामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने (जैसा कि राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दर्ज है) का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र।			
13.	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र।			
14.	किराये का भवन होने पर– भवन एवं भूमि के एक ही निकाय में होने का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।			
15.	राज्य सरकार के दिशा–निर्देशान्तर्गत तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर मानदण्डानुसार भवन निर्माण का शपथ–पत्र।			
16.	स्वयं की भूमि पर (संख्या एवं आकार में) मानदण्डानुसार प्रस्तावित भवन का ब्लू प्रिंट।			
17.	भूमि भवन का गूगल मेप।			
18.	महाविद्यालय की ई–मेल आई.डी., मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर।			

नोटः प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 730/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।

परिशिष्ट–1

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड़ सहित) ....
....

शैक्षणिक सत्र 2026–27 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरण

पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension) हेतु आवेदन								
पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति (स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क (यदि लागू हो)	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः–

1. प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 730/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।
2. महाविद्यालय पर लागू उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्राचार्य   सचिव

परिशिष्ट–2

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड़ सहित) ....

....

शैक्षणिक सत्र 2026–27 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरण

पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में पूर्व निर्धारित सीटों/सेक्शन में अभिवृद्धि (Increase Intake) हेतु आवेदन								
पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति (स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क (यदि लागू हो)	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः–

1. प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 730/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।
2. महाविद्यालय पर लागू उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्राचार्य सचिव

M.Com. (HRM) .... Upto 02.01.02026 99,060/-per course

परिशिष्ट–3

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड़ सहित) ....
....

शैक्षणिक सत्र 2026–27 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरण

नवीन पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता (Fresh Affiliation) प्राप्त करने हेतु आवेदन

पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति (स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क (यदि लागू हो)	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः–

1. प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 730/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।
2. महाविद्यालय पर लागू उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्राचार्य

सचिव

परिशिष्ट–4

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड़ सहित) ....

....

शैक्षणिक सत्र 2026–27 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरण

पूर्व में अस्थायी सम्बद्धता के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में स्थायी सम्बद्धता (Permanent Affiliation) हेतु आवेदन

पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति (स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क (यदि लागू हो)	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः–

1. प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फॉर्म मय संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के बाद 730/– रू. प्रति दिवस शास्ति के रूप में पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।
2. महाविद्यालय पर लागू उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्राचार्य

सचिव

समस्त महाविद्यालयों के लिए (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अतिरिक्त)

(100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... उम्र ....वर्ष, जाति .... निवासी .... अध्यक्ष/सचिव .... सोसायटी .... का हूँ .... के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय .... तथा शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. यह कि स्नातक/स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता के अनुसार अभ्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश दिये जायेंगे।
2. यह कि महाविद्यालय द्वारा यू.जी.सी./राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय (जो भी लागू हो) द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति कर ली गई है एवं तदनुसार ही नियमानुसार योग्यताधारी शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति कर ली गई है तथा जिनका रिकॉर्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध है तथा उनको निर्धारित वेतन व अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं तथा महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों एवं प्राचार्य जिनका अनुमोदन विश्वविद्यालय से नहीं करवाया गया है उनका तीन माह में अनुमोदन आवश्यक रूप से करवा लिया जावेगा।
3. यह कि महाविद्यालय/संस्था सचिव द्वारा AISHE CODE राज्य सरकार के आदेशानुसार प्राप्त कर लिया है।
4. यह कि महाविद्यालय द्वारा एक ही भूमि एवं भवन पर एक से अधिक विद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/यू.जी.सी./विश्वविद्यालय (जो भी लागू हो) द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।
5. यह कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याता अन्य किसी संस्था में कार्यरत नहीं है, की जांच कर ली गई है तथा यदि कोई प्राचार्य/व्याख्याता अन्य किसी महाविद्यालय में कार्यरत पाया जाता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।
6. यह कि महाविद्यालय के द्वारा स्वयं की वेबसाइट तैयार करवा ली गई है, जिसका विवरण सम्बद्धता आवेदन पत्र में दिया गया है तथा वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त जानकारियां अपलोड कर दी गई हैं एवं उसके मुख्य पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है व पूर्ण रूप से सही है।
7. यह कि विश्वविद्यालय में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिन्हें मेरे द्वारा पूर्णतः अच्छी तरह से जांच लिये गये हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं .... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 07 तक सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2025/

दिनांकः

राजस्थान विश्वविद्यालय में सम्बद्धता के लिए महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन–पत्र के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय **ऑनलाइन पोर्टल** **https://ruaffiliation.in**पर दिए गए सम्बद्धता आवेदन पत्र में समस्त जानकारियों को भरकर उसकी हार्डकॉपी संस्था सचिव द्वारा सत्यापित करते हुए ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के दो सप्ताह में विश्वविद्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालयों को पूर्व में जारी आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जाना है तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कम्प्यूटर फर्म की ई–मेल **support@ruaffiliation.in**व हेल्पलाईन नम्बर 8949413543 (समय प्रातः 11 से सायं 05 बजे तक) पर तुरन्त सूचित करें, साथ ही आवश्यक हो तो कार्यालय में सम्पर्क करें।
2. नया महाविद्यालय खोलने के लिए संस्था प्रधान को सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए कार्यालय द्वारा अस्थायी आई.डी. व पासवर्ड जारी किया जावेगा।
3. महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में निर्धारित दिनांक तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा महाविद्यालय के खाते से सम्बद्धता शुल्क ऑनलाइन जमा होने के पश्चात् सर्वर की तकनीकी खामी के कारण राशि महाविद्यालय के खाते में पुनः लौटने (Transaction Failed) की स्थिति में सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क मय दण्ड व विलम्ब शुल्क देय होगा। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय/समिति के द्वारा संचालित खाते से ही शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय से सत्र 2025–26 तक सम्बद्धता प्राप्त सभी शोध केन्द्रों/स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है, इस हेतु उन्हें केवल आवेदन शुल्क 1610/– रू. देय होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा जिन महाविद्यालयों के नाम/स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र की हॉर्डकापी विश्वविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय से सत्र 2026–27 में शोध केन्द्रों की नवीन सम्बद्धता (Fresh Affiliation) के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र व राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय नियमानुसार होना आवश्यक है तथा जिस विषय में शोध केन्द्र प्रारंभ किया जाना है, उसी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता होना भी आवश्यक है।
7. महाविद्यालयों द्वारा सभी विषय/पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन–पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
8. महाविद्यालयों द्वारा नवीन विषय/पाठ्यक्रमों में (Fresh Affiliation/New Course/ Additional Subject)/शोध केन्द्र (Research Centre)/स्थायी सम्बद्धता (Permanent Affiliation)/सीट अभिवृद्धि (Increase Intake) आदि से सम्बन्धित प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के आवेदन–पत्र एवं समस्त दस्तावेज अलग–अलग पत्रावलियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
9. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.एड़./एम.एड़./बी.एड़.–एम.एड़. (तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड) के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन–पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृ.प.उ.

10. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.ए.–बी.एड़./बी.एससी.–बी.एड़. के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन–पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
11. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.पी.एड़. के पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए आवेदन–पत्र एवं दस्तावेज अलग पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
12. महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन भरे गए सम्बद्धता आवेदन–पत्र के साथ राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र, सोसाईटी पंजीकरण पत्र, एफ.डी.आर. की प्रमाणित प्रति, भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र, भवन का एक ब्लू प्रिंट, फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र, पिछले दो सत्रों (2023–2024 व 2025–26) के सम्बद्धता आदेश (Provisional Extension Affiliation) की प्रमाणित छायाप्रति तथा महाविद्यालयों को सत्र 2026–27 से पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की गई सम्बद्धता आदेश (नवीन/सम्बद्धता में अभिवृद्धि/सीट अभिवृद्धि आदि) के प्रमाणित आदेशों की छायाप्रति भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय में निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उसके पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय से 730/– रू. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र जमा किया जावेगा।
13. महाविद्यालयों को राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
14. महाविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी सम्बद्धता लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय नियमानुसार करवाया जाना अनिवार्य है तथा उन प्राचार्य/व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुसार पी.एफ. व ग्रेच्युटी प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समिति के सचिव/अध्यक्ष के द्वारा शपथ–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले जयपुर एवं दौसा जिलों में स्थित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय नियमानुसार प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है। प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन नहीं करवाये जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय का सत्र 2026–27 का सम्बद्धता आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
16. सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त जानकारियां जैसे–संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण/शिक्षकों का विवरण/प्रवेशित छात्रों की संख्या/सोसाईटी से सम्बन्धित सभी दस्तावेज/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश/NCTE का मान्यता पत्र (जो भी लागू हो) को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है एवं जिन महाविद्यालयों की वेबसाईट बनी हुई नहीं है, उन्हें वेबसाईट तैयार कर उक्त जानकारियों व आवेदन–पत्र तथा तैयार करवाई गई वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ के प्रिंट को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17. राजस्थान विश्वविद्यालय से स्थायी व अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को उक्त लिंक पर महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण व महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरना आवश्यक है।
18. सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी./"राष्ट्रीय अध्यापक परिषद्" (NCTE) (जो भी लागू हो) के नियमानुसार होगी। प्राचार्य के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय सिण्डीकेट की बैठक दिनांक 18.02.2010 निश्चय संख्या–4 के निर्णयानुसार अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तक (यदि अनुमोदित है तो) तथा व्याख्याताओं की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी।
19. सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को आवेदन–पत्र के साथ उन्हें सत्र **2025–26 तक जारी समस्त Fresh Affiliation/Permanent affiliation/Increase Intake/Additional Subject order की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित** किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका **आवेदन–पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

कृ.प.उ.

Upto 02.01.02026 | 99,060/-per course

20. महाविद्यालय इस आशय का निर्धारित शपथ–पत्र (राशि 100/– का नॉन ज्यूडिशियल) जिसमें यह उल्लेख हो कि "एक ही भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालय/विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं की है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/NCTE (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।"
21. विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र व संलग्न समस्त दस्तावेजों को सचिव द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा यदि उनमें कोई असत्यता पाई जाती है तो उसके लिए संस्था सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा सम्बद्धता आवेदन–पत्र भरने से सम्बन्धित समस्त जानकारियां/सूचनायें उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
22. विश्वविद्यालय में सत्र 2026–27 सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ लिये जाने वाले सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% GST (9% for CGST & 9% for SGST i.e. Total 18%) लिया जायेगा तथा इससे पूर्व के बकाया GST के लिये रू. 500/–(Non-Judicial Stamp) पर शपथ पत्र प्रसुतत करना होगा।

(राज कुमार जैन)
उप कुलसचिव (शैक्षणिक–2)

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2025/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करावें।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
6. रक्षित पंजिका।

सहायक कुलसचिव शैक्षणिक–2)

Upto 02.01.02026